

क.	उद्योग का नाम	शिकायतकर्ता का नाम एवं दिनांक	शिकायत में प्रदूषण संबंधी बिन्दु	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही
1.	जे. भारत मध्य एगो प्रोडक्ट, रजौआ, सागर	1. मान. विधायक श्री शैलेन्द्र जैन विधानसभा क्षेत्र, सागर 2. समस्त ग्रामवासी, रजौआ सागर	रजौआ ग्राम में नाले के पास स्थित खाद फैक्ट्री से नुकसान की फसल बावत। फैक्ट्री द्वारा छोड़े जा रहे धुएँ से प्रदूषण फैलने, हरे-भरे पौधे नष्ट होने, दूषित पानी नाले में बहाये जाने से जानवर बीमार होने, फैक्ट्री से उड़ने वाली गर्त, धूल या राख से खेतों की मिट्टी खराब होने संबंधी।	उपसंचालक, किसान कल्याण द्वारा जाँच अनुसार कृषकों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के प्रमाण नहीं पाये गये। जाँच के दौरान फैक्ट्री द्वारा छोड़े जा रहे धुएँ से प्रदूषण फैलने, हरे-भरे पौधे नष्ट होने, रसायनिक पदार्थ बाहर निरस्यारित होने की पुष्टि नहीं हुई है। कृषि विभाग द्वारा जाँच में खेतों की मिट्टी खराब होने की पुष्टि नहीं हुई है।
		3. कार्यालय तण्डाधिकारी (राजस्व) सागर अनुविभागीय 4. श्री देवेन्द्र पाराशर, किसान रजौआ, सागर	फैक्ट्री के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की जाँच करना। उद्योग रात्रि में संचालित होने से फसल खराब होने संबंधी।	जाँच में उद्योग के द्वारा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव होना नहीं पाया गया। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया निरंतर प्रकार की है। बोर्ड द्वारा उद्योग का निरीक्षण किये जाने पर परिसर के बाहर निरस्यार नहीं पाया गया तथा वायु गुणवत्ता निर्धारित मानकों में पायी गई है। निरीक्षण के दौरान उद्योग में स्थापित जल/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन होना पाया गया।

विधानसभा तारंगिकित प्रश्न क. 196  
द्वारा माननीय विधायक, इंजी. प्रदीप लारिया

परिशिष्ट - 31-



  
R.00